C-40151

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर,

अपील क्रमांक /2008

A 1569- PBR/08

श्री के.के. द्विवेदी एडवोकेट द्वारा आज दि. 29-11-08 को प्रस्तुत।

1. कोक सिंह तोमर पुत्र श्री गिरवर सिंह तोमर, सचिव, कोख सिंह तोमर, श्रीकृष्ण शिक्षा प्रसार समिति, मोहनपुरा, तहसील अंबाह, जिला मुरैना (म.प्र.)
2. सुरेन्द्र सिंह तोमर पुत्र श्री कोख सिंह तोमर, निवासी–मोहनपुरा, तहसील अंबाह, जिला मुरैना (म.प्र.) **––अपीलार्थीगण**

बनाम

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा कलेक्टर, मुरैना (म.प्र.)

–––प्रत्यर्थी

न्यायालय आयुक्त चंबल संभाग मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक–219/07–08/अपील में पारित आदेश दिनांक 06/11/2008 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 44 (2) के अधीन द्वितीय अपील।

माननीय महोदय,

अपीलार्थीगण की अपील निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

प्रकरण के तथ्य :–

1 यह कि, ग्राम मोहनपुरा तहसील अंबाह, जिला मुरैना में स्थित भूमि खसरा क्रमांक–1968, रकवा 0.55 हेक्टर का अपीलार्थीगण खलियान (गौत) के रूप में उपयोग करते आ रहे थे। राजस्व अभिलेख में भूमि का खलियान के रूप में इन्द्रांज है। इस भूमि पर ग्रामवासियों एवं ग्राम पंचायत के मत से कोख सिंह तोमर श्रीकृष्ण शिक्षा प्रसार समिति मोहनपुरा ने शिक्षा प्रसार के उद्देश्य से कक्षा 1 से 11 तक विद्याध्यन हेतु विद्यालय भवन का निर्माण करा लिया था। इस विद्यालय में कक्षा 1 से लेकर 11 तक में लगभग 700 विद्यार्थी अध्ययनरत् है।

29.11.08 K.K. Dwivedi, Advocate

29/11/08 (GA office)

न्यायालय राजस्व मंडल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एम0 के0 सिंह

सदस्य

अपील प्रकरण क्रमांक 1569-पी0बी0आर0/2008 विरूद्ध आदेश दिनांक 6-11-2008 पारित व्दारा - अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना - प्र0क0 219/2007-08 अपील

1- कोकसिंह तौमर पुत्र गिरवर सिंह तोमर
सचिव, कोकसिंह तोमर श्रीकृष्ण शिक्षा
प्रसार समिति, मोहनपुरा, तहसील अम्वाह
जिला मुरैना म0प्र0

2-- सुरेन्द्र सिंह तोमर पुत्र कोक सिंह तोमर
निवासी मोहनपुरा तहसील अम्वाह, मुरैना ---अपीलांटस

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन ---रिस्पा0

(अपीलांटस के अभिभाषक श्री आर0डी0शर्मा)
(रिस्पा0के पैनल लायर श्री बी.एन.त्यागी)

आ दे श
(आज दिनांक 2 -12-2015 को पारित)

यह अपील अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना - प्र0क0 219/2007-08 अपील में पारित आदेश दिनांक 6-11-2008 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 44 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अपीलांट्स ने कलेक्टर मुरैना के समक्ष मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 237 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तत कर मांग की कि मौजा गोपी स्थित आराजी क्रमांक 1968 रकबा 0.55 शासकीय अभिलेख में खलिहान दर्ज है जिस पर अपीलांट्स का पूर्वजों के जमाने से कब्जा होकर निस्तार के रूप में उपयोग हो रहा है इसी भूमि पर श्रीकृष्ण शिक्षा प्रसार समिति, मोहनपुरा व्दारा विद्यालय भवन बनाकर विद्यालय संचालित किया जा रहा है इसलिये भूमि की नोईयत परिवर्तित की जाय। कलेक्टर मुरैना ने प्रकरण क्रमांक 9 अ 60/2007-08 पंजीबद्ध किया तथा आवेदन की जांच तहसीलदार एंव अनुविभागीय अधिकारी से कराने के उपरांत आदेश दिनांक 20-6-2008 पारित किया तथा अपीलांट्स का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष अपील होने पर प्रकरण क्रमांक 219/07-08 अपील में पारित आदेश दिनांक 6-11-2008 से अपील अस्वीकार की गई। इसी आदेश के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3/ अपील मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव कलेक्टर मुरैना के प्रकरण क्रमांक 9 अ 60/2007-08 में पारित आदेश दिनांक 20-6-2008 के अवलोकन पर पाया गया कि कलेक्टर व्दारा अपीलांटस का मांग आवेदन इस आधार पर निरस्त किया है कि भूमि सर्वे क्रमांक 1968 रकबा 0.55 आरे

के अंशभाग पर अपीलार्थी संस्था ने विद्यालय भवन का निर्माण कर लिया है यदि प्रश्नाधीन भूमि की नोईयत निस्तार से कम कर दी जाती है तो अपीलार्थीगण संस्था की ओर से प्रश्नाधीन भूमि के आवंटन किये जाने की मांग भी की जा सकती है। विचार योग्य है कि जब भूमि सर्वे कमांक 1968 रकबा 0.55 आरे के अंशभाग पर अपीलार्थीगण संस्था ने विद्यालय भवन का निर्माण करके विद्यालय संचालित किया जा रहा है तब यह भूमि ग्रामीणों के निस्तार की किस प्रकार रही एवं सार्वजनिक उपयोग की होना कलेक्टर द्वारा किस आधार पर माना है- कलेक्टर द्वारा निकाला गया निष्कर्ष उक्तांकित तथ्यों एवं प्रकरण में आये तथ्यों के विपरीत होना पाया गया है ।

5- अपीलांट्स के आवेदन में वर्णित तथ्यों की जांच कलेक्टर मुरैना ने तहसीलदार अम्बाह से कराई है तहसीलदार अम्बाह के समक्ष ग्राम पंचायत ने भी प्रस्ताव/ठहराव प्रस्तुत कर उक्तांकित भूमि के मद परिवर्तन पर आपत्ति न होना बताते हुये सहमति व्यक्त की है । तहसीलदार का प्रतिवेदन कलेक्टर के प्रकरण में संलग्न है जिसका अंश उद्धरण इस प्रकार है :-

" कोकसिंह तोमर श्री कृष्ण शिक्षा प्रसार समिति मोहनपुरा ने उक्त सर्वे नंबर भूमि में 5 वर्ष पूर्व स्कूल बनाकर निर्माण कार्य किया जा चुका है। आवेदक 80x40=3200 वर्गफीट तथा 80X20 यानि 1600 वर्गफीट एवं स्कूल के सामने खुली जगह 20x60 वर्गफीट है जहां स्कूल का मैन गेट है। उक्त सर्वे नंबर में एक पुराना पीपल का पेड़ तथा 2 नीम के पेड़ खड़े हुये हैं उक्त सर्वे नंबर अब खलिहान के उपयोग नहीं आ रही है तथा अपीलार्थीगण द्वारा

स्कूल बनाने पर भूमि के सम्बन्ध में ग्रामवासियों को कोई आपत्ति न होना बताया गया है। ''

उक्त प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी अम्बाह के समक्ष पहुंचा, अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण संयुक्त राजस्व अधिकारियों के स्थल निरीक्षण एंव पुर्नप्रतिवेदन हेतु वापिस कर दिया। इसके उपरांत नायव तहसीलदार अम्बाह ने राजस्व निरीक्षक एंव मौजा पटवारी के साथ पुनः संयुक्त निरीक्षण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है जिस पर से अनुविभागीय अधिकारी ने इस प्रकार की अनुसॅशा के साथ प्रकरण कलेक्टर मुरैना को अग्रेषित किया है:-

" नायव तहसीलदार का प्रतिवेदन देखा। निजी विद्यालय को राजस्व पुस्तक परिपत्र चार-1 के तहत प्रीमियम - भू भाटक की दर पर भूमि आवंटन किया जाना उचित है। ''

स्पष्ट है कि तहसीलदार अम्बाह ने , नायव तहसीलदार अम्बाह ने पुर्नजांच प्रतिवेदन में तथा अनुविभागीय अधिकारी,अम्बाह ने प्रतिवेदन में भूमि सार्वजनिक प्रयोग के उपयोग की न पाये जाने से तथा शिक्षण संस्था व्दारा शिक्षण संस्थान बनाकर संस्थान चलाये जाने के कारण शिक्षण संस्था को भूमि दिये जाने की अनुसॅशा की है इसके वाद भी कलेक्टर मुरैना ने वास्तविकता के विपरीत निष्कर्ष निकालते हुये आदेश दिनांक 20-6-2008 से अपीलांट्स का आवेदन निरस्त करने में त्रृटि की है एंव अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना ने प्र0क्र0 219/2007-08 अपील आदेश दिनांक 6-11-2008 पारित करते समय इन तथ्यों को नजरन्दाज किया है जिसके कारण दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं हैं।

6- उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 219/2007-08 अपील में पारित आदेश दिनांक 6.11.2008 तथा कलेक्टर मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 9/अ-60/2007-08 में पारित आदेश दिनांक 20.6.2008 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं तथा ग्राम गोपी के मजरा मोहनपुरा स्थित आराजी कमांक 1968 रकबा 0.55 हैक्टर शासकीय अभिलेख में अंकित मद खलिहान से अपीलार्थीगण शिक्षा समिति विद्यालय /पाठशाला एवं खेल मैदान निस्तार हेतु सुरक्षित करने के आदेश दिये जाते हैं । अनुविभागीय अधिकारी, अम्बाह तदनुसार संहिता की धारा 234 के अंतर्गत अमल कार्यवाही करें ।

एम0के0 सिंह

सदस्य

राजस्व मण्डल म0प्र0

ग्वालियर